भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2223
मंगलवार, 14 मार्च, 2023/23 फाल्गुन, 1944 (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्यीय सहकारी सिमतियां

†2223. श्री सु. थिरुनवुक्करासर:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में राष्ट्रीय स्तर की बहु- राज्यीय जैविक, बीज और निर्यात सहकारी समितियों और प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित कार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव से अत्यधिक निर्यात करने में सहायता मिलेगी और विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे सहकारी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सरकार ने जैविक उत्पाद, बीजों और निर्यात; प्रत्येक के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियां स्थापित करने का अनुमोदन दिया है । इन समितियों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत किया गया है । इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

I. राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि.: इस समिति का प्रोत्साहन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED), गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा किया जा रहा है । समिति का मुख्य प्रोत्साहक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेडहै । समिति की आरंभिक चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपए और प्राधिकृत शेयर पूंजी 2000 करोड़ रुपए होगी । यह समिति, सहकारी समितियों और संबंधित संस्थानों के माल व सेवाओं का प्रत्यक्ष निर्यात तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप करेगी । यह समिति सहकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित अधिशेष माल व सेवाओं का निर्यात बढ़ाने में मदद करेगी जिससे 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा तथा परिणामस्वरूप आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति होगी । समिति के माध्यम निर्यात में वृद्धि होने से सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर माल व सेवाओं के उत्पादन मे बढ़ोत्तरी होगी जिसके फलस्वरूप सहकारी क्षेत्र में अधिक रोजगार का सृजन होगा ।

II. राष्ट्रीय सहकारी जैविक उत्पाद लिमिटेड: इस समिति का प्रोत्साहन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा किया जा रहा है । समिति का मुख्य प्रोत्साहक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है । इस समिति की आरंभिक चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए और प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी । यह समिति गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के ब्रांड नाम व विपणन नेटवर्क का उपयोग करने के साथ-साथ अपना स्वयं का भी ब्रांड नाम व विपणन नेटवर्क का विकास करके सहकारी समितियों तथा संबंधित संस्थानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों का विपणन करेगी एवं प्रमाणित परीक्षण प्रयोगशालाओं व प्रमाणन निकायों को सूचीबद्ध करेगी । यह समिति सहकारी समितियों व संबंधित संस्थानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के घरेलू खपत एवं निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगी जिससे 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा तथा परिणामस्वरूप आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति होगी । समिति के माध्यम से प्रामाणिक और प्रमाणित जैविक उत्पादों के ब्रैंडिंग व विपणन से इसकी मांग और सहकारी समितियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर जैविक उत्पादों के उत्पादन मे बढ़ोत्तरी होगी जिसके फलस्वरूप अधिक रोजगार का सृजन होगा ।

III. भारतीय बीज सहकारी समिति लि.: इस सोसाइटी का प्रोत्साहन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा किया जा रहा है । समिति का मुख्य प्रोत्साहक कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है । इस समिति की आरंभिक चुकता पूंजी 250 करोड़ रुपए और अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी । फसल पैदावार बढ़ाने के लिए यह समिति सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड के तहत उन्नत बीजों का उत्पादन, खरीद और वितरण तथा देशज प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करेगी । यह समिति, सहकारी समितियों के माध्यम से भारत में उन्नत बीजों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी जिससे आयातित बीजों पर निर्भरता में कमी आएगी, कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा और परिणामस्वरूप आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति होगी । इस समिति के माध्यम से उन्नत बीजों के उत्पादन से देश में कृषि उत्पादन में वद्धि होगी जिसके फलस्वरूप कृषि व सहकारी क्षेत्र में अधिक रोज़गार का सृजन होगा ।

इसके अलावा, "सरकार के समग्र दृष्टिकोण" का लाभ लेकर और भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आगामी पांच वर्षों में सरकार द्वारा राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) के सहयोग से देश के शेष सभी पंचायतों/गांवों को कवर करने के लिए दो लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स)/डेयरी/मात्स्यिकी प्राथमिक सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना है ।

(ङ): उपर्युक्त (क) से (घ) के आलोक में यह प्रश्न नहीं उठता है ।

****